

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम-2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसरण एवं कार्मिक द्वारा शलादर्पण पर ONLINE आवेदन पर एवं सीबीईओ द्वारा स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजन सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (I/II/III) सातवें वेतनमान के अंतर्गत पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

No	NAME	DOB	DESIGNATION	PLACE OF POSTING (GSSS/GSS)	App Id	Recommended By Cbeo	DATE OF JOINING/FIXATION ON FIRST APPOINTMENT AND DESIGNATION	DATE OF COMPLETION OF 10/20/30 YRS	DUE DATE OF FIRST/SECOND/THIRD ACP	PAY-BAND ON ACCEPTANCE OF ACP	GRADE PAY/MATRIX LEVEL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	TEJ KARAN BAHEDIA (RJBW199008008963)	12-08-1967	Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UNCHA (224022) CHITTAURGARH	30	RASHMI	02-07-1990	S.T.	01-07-2020	30Y	02-07-2020	—	L-17
2	RAMESHCHAND PATEL (RJBP199007014541)	08-08-1968	Headmaster & Equivalent	GOVT. GIRLS SECONDARY SCHOOL SINSINI (217075) BHARATPUR	1593	DEEG	02-07-1990	S.T.	01-07-2020	30Y	02-07-2020	—	L-15
3	ASHOK (RJJO198925006596)	30-11-1963	Principal & Equivalent	CHOUDHARY BUDHARAM GOVT. SR. SEC. SCHOOL, POPAWAS(219106) JODHPUR	1617	MANDORE	01-07-1989	S.T.	30-06-2020	30Y	01-07-2019	—	L-17
4	JAGMOHAN MEENA (RJDA199013005779)	02-07-1964	Principal & Equivalent	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINDUKI (212884) DAUSA	896	MAHWA	02-07-1990	S.T.	01-07-2020	30Y	02.07.2020	—	L-17

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं सम्बन्धित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/सस्था-एबी/ACP-ONLINE/A-2(II)/2020-21/189

दिनांक:- 19.10.2020

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है:-

1. सम्बन्धित, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. सम्बन्धित, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
5. सम्बन्धित, कार्मिक।
6. निजी पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर